

एल्यूमीनियम पर 40 प्रतिशत की दर से राजस्व शुल्क लगा दिया है। मुझे एल्यूमीनियम पर संरक्षण दरों से शुल्क लगाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि 40 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क बहुत अधिक है। एल्यूमीनियम का प्रयोग केवल जहाज बनाने के लिये नहीं होता है। उसका प्रयोग बर्तन बनाने के लिये भी किया जाता है जो प्रायः कुटीर उद्योग में बनाये जाते हैं। इस विचार से मैं कह रहा हूँ कि यह शुल्क बहुत अधिक है।

टैरिफ आयोग का प्रयोजन निर्माता उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के हितों का ध्यान रखना है। अतः मैं सरकार की इस घोषणा का स्वागत करता हूँ कि सरकार ने व्यापार और उद्योग में पारंगत व्यक्ति को टैरिफ आयोग का अध्यक्ष बनाने का निर्णय किया है। इससे मैं समझता हूँ कि सरकार को काफी लाभ होगा।

सरकार को टैरिफ आयोग की सिफारिशों का समुचित आदर करना चाहिये और उन्हें पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिये, अन्यथा व्यापार और उद्योग अनुभवी व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के बावजूद कोई लाभ नहीं होगा।

श्री के० डी० मालवीय : मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री का वक्तव्य कब होने वाला है। हमें अनिश्चित काल के लिये ऐसे ही बैठे रहना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ। हम प्रातःकाल से ही बहुत व्यस्त रहे हैं। अब हम 5-30 म० प० तक के लिये कार्य स्थगित करते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा 5 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

**The Lok Sabha then adjourned till half past seventeen of the Clock.**

लोक सभा 5 बजकर 30 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

**The Lok Sabha reassembled at half past seventeen of the Clock.**

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ]  
Mr. Speaker in the Chair

बंगला देश में पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा बिना किसी शर्त के  
आत्मसमर्पण किये जाने के बारे में

STATEMENT REGARDING UNCONDITIONAL SURRENDER OF WEST PAKISTAN  
FORCES IN BANGLA DESH

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मुझे एक घोषणा करनी है। पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने बंगला देश में बिना शर्त आत्म-समर्पण कर दिया है। आत्म-समर्पण के दस्तावेज पर ढाका में भारतीय समय के अनुसार 4.31 पर हस्ताक्षर हुये। लैफ्टीनैन्ट जनरल ए० ए० के० नियाजी ने पाकिस्तान की पूर्वी कमान की ओर से हस्ताक्षर किये। इस आत्मसमर्पण को पूर्वी मोर्चे पर लड़ रही भारतीय और बंगला देश की सेनाओं की ओर से, लैफ्टीनैन्ट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जोकि दोनों सेनाओं के जनरल थे, ने स्वीकार किया। ढाका, अब स्वतंत्र बंगला देश की स्वतन्त्र राजधानी है।

यह सभा और सम्पूर्ण राष्ट्र इस ऐतिहासिक घटना पर खुशी मनाता है। हम बंगला देश के लोगों की उनकी इस विजय की घड़ी में जयजयकार करते हैं। हम मुक्तिवाहिनी के बहादुर नवयुवकों तथा बच्चों की उनके साहस और उत्सर्ग के लिये उन्हें शाबाशी देते हैं। हमें अपनी स्थल, नौ, वायु सेना तथा सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है जिन्होंने अपनी दक्षता तथा क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। उनका अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा प्रख्यात है। भारत उनको कृतज्ञता से स्मरण करेगा जिन्होंने इसमें अपनी जान न्यौछावर की है और हमें उनके परिवारों का ध्यान है।

हमारी सशस्त्र सेनाओं को यह कड़े आदेश दिये गये हैं कि वे युद्ध बन्दियों के साथ जनेवा समझौते के अनुसार व्यवहार करें और बंगला देश की जनता के सभी वर्गों के साथ मानवीय ढंग से पेश आएँ। मुक्तिवाहिनी के कमांडरों ने भी अपने सैनिकों को इसी प्रकार के आदेश दिये हैं। यद्यपि बंगला देश की सरकार को जनेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने का अवसर नहीं दिया गया है तथापि उन्होंने भी घोषणा की है कि वह भी समझौते का पूरा पालन करेगी। यह बंगला देश, मुक्तिवाहिनी और भारतीय सशस्त्र सेनाओं का उत्तरदायित्व होगा कि वे बदले की कार्यवाही को रोकें।

हमारे लक्ष्य सीमित थे। हम बंगला देश के बहादुर लोगों और उनकी मुक्तिवाहिनी की उनके देश को आतंक के शासन से मुक्त कराने में सहायता देना तथा अपने पर आक्रमण रोकना चाहते थे। भारतीय सशस्त्र सेनाएं बंगला देश में आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं रहेंगी।

लाखों लोग जिन्हें अपने घरों से सीमा पार हमारे देश में खदेड़ दिया गया था, पहले ही लौटने लगे हैं। युद्ध में छिन्न-भिन्न हुए इस देश के पुनर्वास में वहाँ की सरकार और लोगों को एक साथ जुटना पड़ेगा।

हम आशा करते हैं तथा हमारा विश्वास है कि इस नव राष्ट्र के पिता, शेख मुजीबुर्रहमान अपने लोगों के सही स्थान ग्रहण करेंगे और बंगला देश को शान्ति, प्रगति तथा समृद्धि की ओर ले जायेंगे। अब समय आ गया है कि जब वे अपने सोनार बंगला के एक सार्थक भविष्य की ओर एक साथ बढ़ सकते हैं। हमारी मंगल कामना उनके साथ है।

यह विजय केवल उन्हीं की नहीं है, सभी राष्ट्र जो मानव का मूल्य समझते हैं, इसे मनुष्य की स्वाधीनता की खोज एक महत्वपूर्ण मंजिल मानेंगे।

**कई माननीय सदस्य :** इंदिरा गांधी जिन्दावाद।

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक  
INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

“कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**  
**The motion was adopted**